तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3487/2006/कोटा** **राजस्थान सरकार बनाम रामरतन (मृतक) बालमुकन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता।
अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 12.02.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 29.12.2005 द्वारा माननीय मंडल न्यायालय को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, सांगोद ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील सांगोद के ग्राम जांगल्याहेडी की मंदिर श्री महाप्रभू जी कोटा के खाते में खसरा संख्या 77 की 29 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 104 की 17 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 108 की 1 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा संख्या 166 की 4 बीघा 5 बिस्वा कुल 52 बीघा 8 बिस्वा भूमि बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2013–32 में दर्ज थी जो वर्तमान रिकार्ड में मूर्ति मंदिर के नाम न होकर रामरतन, किशोर, मोहनलाल व किशनलाल पुत्रान लाला जाति गुर्जर निवासी जांगल्याहेडी के नाम दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान में भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध होने से खारिज योग्य है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार, मूर्ति अल्प व्यस्क में निहित है। अतः अप्रार्थीगण के नाम हुई उक्त खातेदारी को निरस्त कर उक्त आराजी पुनः मंदिर श्री महाप्रभू जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2005 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3487/2006/कोटा** **राजस्थान सरकार बनाम रामरतन (मृतक) बालमुकन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि तहसील सांगोद के ग्राम जांगल्याहेडी में मंदिर श्री महाप्रभू जी कोटा के खाते में खसरा संख्या 77 की 29 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 104 की 17 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 108 की 1 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा संख्या 166 की 4 बीघा 5 बिस्वा कुल 52 बीघा 8 बिस्वा भूमि बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2013–32 में दर्ज थी। उक्त भूमि मूर्ति के नाम दर्ज न होकर रामरतन, किशोर, मोहनलाल व किशनलाल पुत्रान लाला जाति गुर्जर निवासी जांगल्याहेडी के नाम से जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 तक खाता संख्या 52 दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 में उक्त खातेदारान एवं उनके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी के वर्तमान खसरा संख्या 224 की 2.28, 225 की 2.49, 280 की 1.40, 281 की 0.35, 282 की 0.35, 286 की 0.20, 287 की 0.40, 288 की 0.06, 289 की 0.27, 326 की 0.10, 327 की 0.55, 328 की 0.04 कुल किता 12 रकबा 8.49 है0 दर्ज हुए है जो वर्तमान में मृतक रामरतन व किशोर के वारिसान एवं मोहनलाल, किशनलाल बेटे लाला के खाते दर्ज है तथा वर्तमान में मौके पर वर्तमान खातेदारान का कब्जा काश्त है तथा सहखातेदार मोहनलाल का हिस्सा 1/4 एस0बी0बी0जे0 शाखा सांगोद के रूपये 98000/– में रहन है। मूर्ति मंदिर के खाते में उक्त परिवर्तन का कारण ग्राम जमाबंदी संवत् 2017–20 में भूमि अधिकारी मंदिर का नाम काटकर कृषक रामरतन, किशोर, मोहनलाल, किशनलाल पुत्रान लाला खातेदार अंकित है का नाम लिखा रहने देने के कारण प्रारंभ हुआ है तथा इस काट छांट का कोई कारण किसी रिकार्ड में दर्ज होना नहीं पाया गया है। जमाबंदी संवत् 2017–20 के बाद बनने वाली जमाबंदी 2021–24 में उक्त कृषकगण खातेदार की हैसियत से दर्ज रिकार्ड होना पाए गए है जो अब तक खातेदार ही दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि 52 बीघा 8 बिस्वा जो खातेदारान के नाम दर्ज हुई है वह गलत दर्ज की गई है। बंदोबस्त् के रिकार्ड में दर्ज मूर्ति मंदिर के खाते में उक्त परिवर्तन मूर्ति मंदिर के खाते की भूमि का अवैध हस्तांतरण है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3487/2006/कोटा** **राजस्थान सरकार बनाम रामरतन (मृतक) बालमुकन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि की खातेदारी पुनः माफी मंदिर श्री महाप्रभू जी कोटा के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अधी0न्याया0 की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील सांगोद के ग्राम जांगल्याहेडी में मंदिर श्री महाप्रभू जी कोटा के खाते में खसरा संख्या 77 की 29 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 104 की 17 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 108 की 1 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा संख्या 166 की 4 बीघा 5 बिस्वा कुल 52 बीघा 8 बिस्वा भूमि बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2013–32 में दर्ज थी। उक्त भूमि मूर्ति के नाम दर्ज न होकर रामरतन, किशोर, मोहनलाल व किशनलाल पुत्रान लाला जाति गुर्जर निवासी जांगल्याहेडी के नाम से जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 तक खाता संख्या 52 दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 में उक्त खातेदारान एवं उनके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी के वर्तमान खसरा संख्या 224 की 2.28, 225 की 2.49, 280 की 1.40, 281 की 0.35, 282 की 0.35, 286 की 0.20, 287 की 0. 40, 288 की 0.06, 289 की 0.27, 326 की 0.10, 327 की 0.55, 328 की 0.04 कुल किता 12 रकबा 8.49 है0 दर्ज हुए है जो वर्तमान में मृतक रामरतन व किशोर के वारिसान एवं मोहनलाल, किशनलाल बेटे लाला के खाते दर्ज है तथा वर्तमान में मौके पर वर्तमान खातेदारान का कब्जा काश्त है तथा सहखातेदार मोहनलाल का हिस्सा 1/4 एस0बी0बी0जे0 शाखा सांगोद के रूपये 98000/– में रहन है। मूर्ति मंदिर के खाते में उक्त परिवर्तन का कारण ग्राम जमाबंदी संवत् 2017–20 में भूमि अधिकारी मंदिर का नाम काटकर कृषक रामरतन, किशोर, मोहनलाल, किशनलाल पुत्रान लाला खातेदार अंकित है का नाम लिखा रहने देने के कारण प्रारंभ हुआ है तथा इस काट छांट का कोई कारण किसी रिकार्ड में दर्ज होना नहीं पाया गया है। जमाबंदी संवत् 2017–20 के बाद बनने वाली जमाबंदी 2021–24 में उक्त कृषकगण खातेदार की हैसियत से दर्ज रिकार्ड होना पाए गए है जो अब तक खातेदार ही दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि 52 बीघा 8 बिस्वा जो खातेदारान के नाम दर्ज हुई है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3487/2006/कोटा** **राजस्थान सरकार बनाम रामरतन (मृतक) बालमुकन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा वर्तमान सेटलमेंट के अनुसार विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जो अनुचित एवं अवैध है। चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातांरित नहीं की जा सकती है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री महाप्रभू जी की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री महाप्रभू जी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। परिणामतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, कोटा द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 29.12.2005 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत उक्त हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर तहसील सांगोद के ग्राम जांगल्याहेडी में स्थित वादग्रस्त आराजीयात का अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/ पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री महाप्रभू जी की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	